कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, जसपुरा जनपद– बॉदा

पंत्राक / भूसा/टेण्डर पत्रा0/2026–27 दिनांक– 08/5/2026

ई–निविदा सूचना

मुख्य विकास अधिकारी के पत्र संख्या 203/पी–5/लेखा/भूसा–टेण्डर पत्रा0/2026–27 दिनांक 24.04.2026 के कम में वितीय वर्ष 2026–27 हेतु विकास खण्ड जसपुरा परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायतो पर संचालित स्थाई/अस्थाई पशु आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंशो की उदर पूर्ति हेतु उच्च/उत्तम कोटि के गेहूँ का भूसा, साइलेज एवं पशु आहार को आवश्यकतानुसार कय किये जाने हेतु उ0प्र0 सरकार की बेवसाइट **http;//etender.up.nic.in** के माध्यम से दिनांक 08.05.2026 को अपरान्ह 04:00 बजे से दिनांक 21.05.2026 के साय 06:00 बजे तक ई–टेण्डर द्वारा संलग्न नियम व शर्तो के अधीन ही आनलाइन निविदा सम्मिलित की जायेगी। दिनांक 22.05.2026 को अपरान्ह 2:30 बजे ई–निविदा की टेक्निकल बिड अधोहस्ताक्षरी कार्यालय (खण्ड विकास अधिकारी, जसपुरा) में गठित विकास खण्ड स्तरीय समिति के समक्ष खोली जायेगी। टेक्निकल बिड वैध पाये जाने पर ही वित्तीय बिड पर विचार किया जायेगा। यह भी सूचित किया जाता है ऐसें निविदादाता जो ई–टेण्डर के लिए पंजीकृत होगें तथा उनके डिजिटल सिग्नेचर उपलब्ध होगें व निविदादाता फर्म ही ई–टेण्डर प्रणाली में टेण्डर डाल सकेगें। दिनांक 22.05.2026 पूर्वान्ह 11:30 बजे तक तकनीकी निविदा प्रपत्र की हार्ड कापी (मूल प्रपत्र) कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, जसपुरा जनपद बॉदा में जमा करना अनिवार्य है। अन्यथा कि स्थिति में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा गठित समिति द्वारा कार्यादेश जारी किये जाने से पूर्व जनपद स्तरीय कय समिति/जिलाधिकारी महोदया से अनुमोदन उपरान्त ही जारी किया जायेगा।

क0 सं0	आपूर्ति की जाने वाली सामग्री	अर्नेस्टमनी रू0 में (ई0एम0डी0)	निविदा प्रपत्र मूल्य रू0 में (नॉन रिफण्डेबल)	ई–निविदा अवधि	तकनीकी बिड खुलने का दिनांक
1	1– गेहूं का भूसा आवश्यकतानुसार लगभग 14,492.5 कुन्टल (मात्रा घट–बढसकती है।) 2–साइलेज आवश्यकतानुसार लगभग 21,738.75 कुन्टल (मात्रा घट–बढसकती है।) 3– पशु आहार आवश्यकतानुसार लगभग 3,623.12 कुन्टल (मात्रा घट–बढसकती है।)	रू0 3,28,500.00 (रू0 तीन लाख अठ्ठाईस हजार पाच सौ मात्र)	रू0 25,000.00 + 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 (रू0 पच्चीस हजार + अठ्ठारह प्रतिशत जी0एस0टी0)	31 मार्च, 2027 तक	22.05.2026

ई–निविदा की नियत तिथि एवं समयः–

1	आनलाइन निविदा प्रपत्र डाउनलोड/उपलब्ध होने की तिथि एवं समय	08.05.2026 अपरान्ह 3:00 बजे से
2	आनलाइन निविदा प्रपत्र जमा करने की प्रारम्भ तिथि एवं समय	08.05.2026 अपरान्ह 4:00 बजे से
3	आनलाइन निविदा प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय	21.05.2026 सायं 6.00 बजे तक
4	तकनीकी (टेक्निकल) निविदा प्रपत्र की हार्डकापी जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय	22.05.2026 पूर्वान्ह 11.30 बजे तक
5	आनलाइन तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय	22.05.2026 अपरान्ह 2:30 बजे

खण्ड विकास अधिकारी,
जसपुरा (बॉदा)

पत्रांक 255 / दिनांकित–

प्रतितिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, महोदय, बॉदा की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, महोदय, बॉदा।
3. समस्त विकास खण्ड स्तरीय/जनपद स्तरीय गठित कय समिति।
4. सम्पादक दैनिक जागरण झासी/कानपुर एवं सम्पादक बुन्देलखण्ड लाईब बॉदा को इस आशय से प्रेषित कि विज्ञापन सशुल्क कम से कम स्थान पर प्रकाशित करते हुये शासन द्वारा निर्धारित दरों पर बिल भुगतान हेतु अघोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करे।

खण्ड विकास अधिकारी,
जसपुरा (बॉदा)

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी जसपुरा....... जनपद बॉदा हेतु स्थायी/अस्थायी पशु आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंशोंकी उदरपूर्ति हेतु गेहूॅ का भूसा/साइलेज/पशु आहार के क्रय हेतु निविदा की शर्ते/सूचना

1. उक्त निविदा 31 मार्च, 2027 तक मान्य होगी या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरान्त अगला टेण्डर स्वीकृत होने तक मान्य होगी।
2. निविदा प्रपत्र के साथ गेहूॅ का भूसा/साइलेज/पशु आहार के लिये रू0 328500-00 (रू0 तीन लाख अट्ठाइस हजार पाँच सौ मात्र) अर्नेस्ट मनी के रूप में एफ0डी0आर0 खण्ड विकास अधिकारी जसपुरा...... के पक्ष में सलंग्न किया जाना अनिवार्य है। चेक/नगद धनराशि स्वीकार नही की जायेगी। बिना अर्नेस्ट मनी के निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
3. गेहूॅ का भूसा/साइलेज/पशु आहार खराब पाये जाने पर बीजक का भुगतान नही होगा तथा जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
4. निविदादाता का जी0एस0टी0 पंजीकरण, पैन नं0 होना अनिवार्य है, जिसकी स्वप्रमाणित छायाप्रति सलंग्न करना अनिवार्य है।
5. निविदादाता को विगत 03 वर्षो (2022–23, 2023–24 व 2024–25 अर्थात कर निर्धारण वर्ष (Assesment Year) 2023–24, 2024–25 व 2025–26 का आयकर विवरण सलंग्न करना होगा।
6. निविदा की दरे एफ0ओ0आर (गोदाम के अन्दर) की होनी चाहिए।
7. निविदादाता को निविदा के साथ 01 किग्रा0 गेहूॅ का भूसा/साइलेज/पशु आहार का नमूना उपलब्ध कराना होगा।
8. निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाओं को उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष विकास खण्ड स्तरीय क्रय समिति द्वारा सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोली जायेगी उसमे सफल होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
9. ई–टेण्डर खोलने के बाद दरों का निगोसियेशन किसी फर्म से नही किया जायेगा। आवश्यकता पडने पर केवल न्यूनतम दर वाली फर्म से जिला स्तरीय गठित समिति के अनुमोदनोपरान्त निगोसियेशन किया जा सकता है।
10. क्रय समिति का यह अधिकार होगा कि आपूर्ति समय से अथवा मानकों के अनुसार न होने की दशा में जमा की गयी अरनेस्ट मनी जब्त कर ले तथा भविष्य के लिये फर्म को ब्लैक लिस्ट कर दिया जायें।
11. जनपद स्तरीय क्रय समिति के लिए आवश्यक नहीं है कि वह न्यनूतम दरों पर क्रय स्वीकार करें। दरों पर निर्णय लेते समय समिति पूर्व अनुभव, गुणवत्ता, अथवा स्थानीय बाजार भाव आदि को संज्ञान में ले सकती है।
12. निविदाओं के माध्यम से प्राप्त हुयी न्यूनतम दरों पर जनपद स्तरीय क्रय समिति /जिलाधिकारी महोदया बॉदा के द्वारा अनुमोदित करने के उपरान्त न्यनूतम दरें स्वीकृत की जायेगी।
13. गेहूॅ का भूसा/साइलेज/पशु आहार की आपूर्ति विकास खण्ड के अन्तर्गत स्थायी/अस्थायी पशु आश्रय स्थलों पर धर्मकाटें की तौल पर देना होगा।
14. उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल 2016 के अध्याय 09 के क्रमांक 9.14 में स्पष्ट उल्लिखित है कि सफल निविदादाता Value of Contract का 2 प्रतिशत जमानत धनराशि अनुबन्ध करते समय पृथक से एफ0डी0आर0 बनवाकर खण्ड विकास अधिकारी जसपुरा.........के पक्ष मे बन्धक रखनी होगी एवं न्यूनतम स्वीकृत टेण्डरदाता द्वारा निर्धारित अवधि मे अनुबन्ध कराने

(ओ0 पी0 पाल)
ग्राम पंचायत अधिकारी

ADO Ag

सहायक विकास अधिकारी (पं0)
वि0ख0-जसपुरा (बाँदा)

पशु चिकित्साधिकारी
जसपुरा (बाँदा)

खण्ड विकास अधिकारी
जसपुरा (बाँदा)

मे असफल रहने की दशा में आपूर्ति में अनिच्छुक मानते हुये नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अर्नेस्ट मनी राशि जब्तकर द्वितीय न्यूनतम दरदाता से न्यूनतम (L-1) दरों पर जनपद स्तरीय गठित समिति के अनुमोदनोपरान्त अनुबन्ध हेतु विचार किया जा सकता है। जिन निविदादाता की दरें स्वीकार की जायेगी उन्हें भारतीय स्टाम्प अधिनियम–1899 के अनुसूची एक–ख के अनुच्छेद–57 के अन्तर्गत रू0 100/– (रूपया एक सौ मात्र) के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा जिसका व्यय निविदादाता द्वारा स्वंय किया जायेगा। उत्तर प्रदेश शासन की निबन्धन विभाग की एम0ए0क्यू0 क्र0सं0–16 के द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम में सम्बन्धित सफल ठेकेदार को धनराशि रू. 50.00 का शपथ पत्र/बान्ड भरना होगा कि **''मा0 उच्चतम न्यायालय मे विचाराधीन याचिका का निर्णय यदि राज्य सरकार के पक्ष मे कर दिया जाता है तो नियमानुसार देय स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया जायेगा''।**

15. निविदादाता के नाम कम से कम रू0 3,00,000.00 (रू0 तीन लाख) मात्र का हैसियत प्रमाण पत्र जिलाधिकारी/राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत अथवा रू0 6,00,000.00 (रू0 छः लाख) की बैंक क्रेडिट लिमिट का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
16. निविदादाता को गेहूँ का भूसा/साइलेज/पशु आहार का न्यूनतम 500 कुन्टल आपूर्ति का एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
17. निविदादाता के स्वयं के हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसकी फर्म किसी राजकीय विभाग अथवा अन्य संस्था से काली सूची में नही डाली गयी है, जिन निविदादाताओं को उपरोक्त शर्त मान्य हो वही निविदादाता अर्नेस्ट मनी के साथ दरे प्रस्तुत करें, अन्यथा उसके अभाव में उनके द्वारा प्रस्तुत दरों पर विचार नही किया जायेगा। निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित की गयी कोई भी शर्त स्वीकार नही की जायेगी। सशर्त निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
18. लोडिंग–अनलोडिंग में जी0एस0टी0 नियमानुसार देय होगी।
19. क्रय उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल तथा समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत किया जायेगा।
20. सफल निविदादाता को उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल में वर्णित इंटीग्रिटी पैक्ट (Integrity Pact ref Para 18.9) को भी हस्ताक्षरित करना होगा।
21. तकनीकी निविदा में सभी प्रपत्र स्वहस्ताक्षरित कर अपलोड करने होगें।
22. जनपद स्तरीय क्रय समिति को यह अधिकार होगा कि वह विना कारण बताये एक अथवा समस्त निविदायें निरस्त कर दें।

<u>क्रय आदेश/आपूर्ति/भुगतान</u>

1. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त तत्काल आपूर्तिकर्ता को विकास खण्ड अन्तर्गत स्थायी/अस्थायी पशु आश्रय स्थलों पर क्रय आपूर्ति आदेश निर्गत करने की तिथि से 03 दिवस के अन्दर आपूर्ति करनी होगी तथा आपातकालीन स्थिति मे गेहूँ का भूसा/साइलेज/पशु आहार की आपूर्ति करनी होगी।
2. विकास खण्ड अन्तर्गत स्थायी/अस्थायी पशु आश्रय स्थलों के क्रय आपूर्ति आदेश/भुगतान ग्राम समिति मे ग्राम प्रधान/सचिव, एन0जी0ओ0 के संचालको के द्वारा विधिवत परीक्षण करने के उपरान्त नियमानुसार **अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल के खाते** से नियमानुसार आयकर टी0डी0एस0 एवं जी0एस0टी0 टी0डी0एस0 कटौती करते हुये भुगतान किया जायेगा।
3. किसी भी क्रय आदेश की पार्ट आपूर्ति नही ली जायेगी।
4. जनपद स्तरीय क्रय समिति की संस्तुति के आधार पर एक से अधिक आपूर्ति कर्ताओं द्वारा प्रस्तुत एक ही दर स्वीकृत होती है तो क्रय की जाने वाली सामग्री को बराबर मात्रा में आंवटित कर दिया जायेगा एक के मना करने पर आदेश दूसरे आपूर्तिकर्ता को कर दिया जायेगा।

(ओ0 पी0 पाल)
ग्राम पंचायत अधिकारी

सहायक विकास अधिकारी (पं0)
वि0ख0-जसपुरा (बाँदा)

पशु चिकित्साधिकारी
जसपुरा (बाँदा)

खण्ड विकास अधिकारी
जसपुरा (बाँदा)

5. अपरिहार्य कारणों से गेहूँ का भूसा/साइलेज/पशु आहार की मात्रा घटाई–बढ़ाई जा सकती है, जिसका पूर्ण अधिकार विकास खण्ड स्तरीय क्रय समिति को होगा।
6. गेहूँ का भूसा/साइलेज आपूर्ति के स्थल विकास खण्ड के स्थायी/अस्थायी पशु आश्रय स्थल में करनी होगी। स्थल मे परिवर्तन व स्थलों की संख्या को घटाया व बढाया जा सकता है।
7. विकास खण्ड/तहसील स्तरों पर गेहूँ का भूसा/साइलेज/पशु आहार के भण्डारन हेतु बैंक स्थापित करना होगा तथा गेहूँ का भूसा/साइलेज/पशु आहार की प्रचुर मात्रा उपलब्ध रहे जिससे आवश्यकता पडने पर तत्काल आपूर्ति करायी जा सके।

गुणवत्ता

1. गेहूँ का भूसा/साइलेज/पशु आहार की आपूर्ति प्राप्त करते समय पशु आश्रय स्थलो पर सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा गेहूँ का भूसा/साइलेज/पशु आहार का परीक्षण किया जायेगा और यदि परीक्षण के समय भूसा/साइलेज/पशु आहार अधोमानक प्रतीत हुआ तो आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अपने खर्च पर वापस लेना होगा।
2. गेहूँ का भूसा/साइलेज/पशु आहार में किसी प्रकार के हानिकारक पदार्थ धूल बाहरी तत्व बालू/मिटटी, लोहे के टुकडें आदि नही होने चाहिए। गेहूँ का भूसा/साइलेज/पशु आहार उच्च कोटि/प्रथम श्रेणी गुणवत्ता एवं सही पैंकिंग का माल न होने पर अथवा आंशिक रूप से रिजेक्ट होने का अधिकार खण्ड विकास अधिकारी जसपुरा को सुरक्षित रहेगा। निर्धारित गुणवत्ता का माल ही आपूर्तिकर्ता को देना होगा।

अन्य शर्ते

1. यदि आपूर्ति के सम्बन्ध मे किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो नियमानुसार विकास खण्ड/जनपद स्तरीय समिति के माध्यम से निपटारा किया जायेगा एवं उनके द्वारा लिया गया निर्णयदोनो पक्षों को मान्य होगा तथा किसी प्रकार के विधिक प्रकरण मे न्याय क्षेत्र बॉदा होगा।
2. उपरोक्त शर्तो में आपूर्तिकर्ता एवं क्रेता द्वारा उभय पक्षीय सहमति द्वारा आवश्यकतानुसर फेर बदल किया जा सकता है।

उपरोक्त सभी शर्ते मुझे/हमें मान्य है तथा इन शर्तो को ध्यान में रखकर ही निविदा प्रस्तुत की जा रही है।

ADO Ag

निविदादाता का हस्ताक्षर..............................
नाम...
फर्म/कम्पनी की सील.................................
पूरा पता...

(ओ० पी० पाल)
ग्राम पंचायत अधिकारी

पशु चिकित्साधिकारी
जसपुरा (बाँदा)

सहायक विकास अधिकारी (पं०)
वि०ख०-जसपुरा (बाँदा)

खण्ड विकास अधिकारी
जसपुरा (बाँदा)

Signature Not Verified
Digitally signed by DHANRAJ KOTARYA
Date: 2026.05.08 14:20:54 IST
Location: Uttar Pradesh-UP